न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी ,मालाखेड़ा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी–श्री देवी सिंह (R.A.S)

प्रा0पत्र संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
3 / 18	14.06.2021	15.07.2024

उनवान

1. भूपसिंह पुत्र श्री छोटक्या जाति जाट उम्र करीब 50 साल निवासी ग्राम बरखेडा तह0 मालाखेडा जिला अलवर राज0

––प्रार्थी

बनाम

1. रामनिवास उम्र 60 साल पुत्र स्व0 श्री रामस्वरूप जाति जाट निवासी बरखेडा।
2. कुन्ज बिहारी उम्र 54 साल स्व0 श्री रामस्वरूप जाति जाट।
3. भीमसिंह उम्र 52 पुत्र स्व0 श्री रामस्वरूप जाति जाट।
4. चतरसिंह उम्र 42 साल पुत्र स्व0 श्री रामस्वरूप जाति जाट।
5. शीला पत्नि स्व0 छोटू पुत्रवधु स्व0 श्री रामस्वरूप जाति जाट।
6. आशीष उम्र 18 साल पुत्र स्व0 श्री छोटू प्रोत्र स्व0 श्री रामस्वरूप जाति जाट।
7. अंकित उम्र 16 साल पुत्र छोटू प्रोत्र स्व0 श्री रामस्वरूप सरप्रस्त श्रीमती शीला माता खुद
8. केशा पुत्री रामस्वरूप उम्र 58 साल जाति जाट।
9. रेशम पुत्री रामस्वरूप उम्र 56 साल जाति जाट।
10. बिमला पुत्री स्व0 रामस्वरूप।
11. सुबेसिंह पुत्र स्व0 किशोरी लाल उम्र 24 साल जाति जाट निवासी कलसाडा।
12. नरेन्द्र पुत्र स्व0 किशोरी उम्र 22 साल जाति जाट।
13. सुनिता पुत्री स्व0 किशोरी उम्र 20 साल जाति जाट निवासीयान कलसाडा तह0 मालाखेडा जिला अलवर राज0

––असल अप्रार्थीगण

14. गिर्राज पुत्र अजीराम जाट निवासी ग्राम बरखेडा।

––तरतीबी अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–श्री फुलसिंह चौधरा वकील प्रार्थी
श्री तेज सिंह चौधरी वकील अप्रार्थी

निर्णय

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा का अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया हाल आराजी खसरा नम्बर 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591 कुल किता 6 कुल रकबा 1. है0 वाके ग्राम बरखेडा तह0 मालाखेडा सालिम पर तनहा प्रार्थी का ही कब्जा चला आ रहा है। न्तु राजस्व अभिलेख प्रार्थी 1/8 हिस्से का रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी की क्त आराजी के पास लगते हुये ही खसरा नम्बर 3598 तरतीबी अप्रार्थी गिर्राज पुत्र अजीराम का है। र्थी को अपनी आराजीया तमे आने जाने के लिये कोई रास्ता नही हैं नाही मौके पर कोई रास्ता है। र्थी की उक्त आराजीयात के तरफ उत्तर मे अप्रार्थी 1 लगा0 4 व अप्रार्थी सं0 8, 9, 10 के पिता प्रार्थी सं0 5 के ससुर व अप्रार्थी सं0 6 व 7 के दादा तथा अप्रार्थी सं0 11, 12, 13 के नाना का म हाल जमाबन्दी मे दर्ज है। आराजी ख0न0 3599 व 3600 ग्राम बरखेडा पर श्री रामस्वरूप के

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

विधिक व कानूनी वारिसान काबिज रहकर काश्त कर रहे है जो असल अप्रार्थीगण है। अप्रार्थीगण की उक्त आराजी खसरा नम्बर 3600 से लगते हुये तरफ उत्तर नरेगा के तहत रास्ता बना हुआ है जो ग्राम बरखेडा गांव की आबादी से होकर पहाडो की ओर जा रहा है। प्रार्थी इसी आम रास्ते पर जाकर अवागमन करता हैं अन्य कोई रास्ता नही है। अप्रार्थीगण प्रार्थी को ख0न0 3599 व 3600 मे होकर आने जाने नही देता है इसलिये ख0न0 3599 व 3600 मे कम से कम 10 फुट चौडा रास्ता तरतीबी अप्रार्थीगण की आराजी ख0न0 3598 तक लेना चाहता है जिसके लिये प्रार्थी डीएलसी दर की दुगनी राशि अदा करने को तैयार है।

र्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत र निवेदन किया कि विवादित आराजी मे होकर किसी प्रकार का कोई रास्ता पूर्व था और नाही र्तमान मे है बल्कि अप्रार्थीगण ने अपनी उक्त आराजी पर पुख्ता दीवार बना रखी है। तथा प्रार्थी पूर्व ो भॉति अपने परिवारजन की लगती आराजी मे से आता जाता रहा है। प्रार्थी किसी प्रकार का कोई जस्व रिकॉर्ड मे अप्रार्थीगण की आराजी को रास्ता दर्ज करवाने का अधिकारी नही है। अतः प्रार्थना मय हर्जा खारिज फरमाया जावे।

सीलदार मालाखेडा से मौके की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार मालाखेडा ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित या है कि ग्राम बरखेडा के आराजी ख0न0 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591 के प्रार्थीगण तेदार दर्ज रिकॉर्ड है इन आराजीयात पर पहुँच मार्ग ख0न0 3599 व 3600 मे से सुखाचार के त रास्ता चाहा गया हैं। उक्त खसरा नम्बरान मे मौके पर कही रास्ता दर्ज नही है। उक्त खसरा रान के लगता हुआ खसरा नम्बर 3700 व 3646 किस्म गै0मु0 रास्ता खातेदारी के लगता हुआ न0 3600 मे अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर पूर्व से ही लगभग साढे चार फुट उची दीवार बनाई हुई

उभयपक्ष की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये ना पत्र स्वीकार करने का कथन किया। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब मे अंकित तथ्यों को ही माने जाने का कथन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। धारा 251 क अन्य खातेदार ोत मे से भूमिगत पाईप लाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विधमान मार्ग को विस्तार —जहॉ (क) कोई अभिधारी अपनी जोत की सीचाई के प्रयोजन के लिये किसी अन्य खातेदार की मे से होकर भूमिगत पाइप लाईन बिछाना चाहता है।

ोई अभिधारी या अभिधारियो को कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक के लिये अन्य खातेदार की जोत मे से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी न मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है—और मामला पारस्परिक सहमती से तय नही है तो ऐसा अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिये संबंधित उपखण्ड री को आवेदन कर सकेगें और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जॉच के पश्चात उसका न हो जाता है।

आवश्यकता आत्यन्तिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक नही है और

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

(!!) अन्य खातेदार की जोत मे से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले मे पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है तो आदेश द्वारा आवेदक को अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाइन के साथ साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट ीचे पाइप लाईन बिछाने के लिये या ऐसे टैंक पर जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित रता है, दर्शाया जावे भूमि मे से होकर और यदि ऐसा टैंक दर्शित नही किया जाये तो लघुतम ाकटतक रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अधिक चौडा नही हो, बनाने के लिये या धमान मार्ग को तीस फुट से अन्यधिक तक विस्तारित या चौडा करने के लिये उस अभिधारी को ा उस भूमि को धारित करता है जिसमे से होकर पाइप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या द्यमान मार्ग को चौडा करने का अधिकार मंजूर किया जाये। ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित ी से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये अनुज्ञात कर सकेगा।

जहॉ उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित करने या ड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जावे। वहॉ ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के ध मे अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी। और वह भूमि राजस्व अभिलेख मे "रास्ता" के रूप ाभिलिखित की जायेगी।

वे व्यक्ति जिनकी उपधारा (1) मे निर्दिष्ट सुविधाओ मे से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिये ात किया गया है उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत मे जिसमे से होकर ऐसी सुविधा मंजूर ाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही करेगें।

आरटीए धारा 251 ए मे अन्य खातेदार को नवीन रास्ता जब आवश्यकता आत्यन्तिक यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नही है। अन्य खातेदार की मे होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले मे पहुॅचने के लिये वैकल्पिक साधन का अभाव करने मे प्रार्थी अभिधारी असफल रहा है। तहसीलदार मालाखेडा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी जिन खसरा नम्बर 3599 व 3600 मे से रास्ता चाहा है। उन खसरा नम्बर 3600 की तरफ रास्ता के लगता हुआ पूर्व से ही अप्रार्थीगण के मकान बने हुये है। तथा प्रार्थीगण द्वारा खसरा 3600 मे पहले से ही पक्की दीवार बनी हुई है। प्रार्थी के खसरा नम्बरो से लगता हुआ खसरा 3700 रकबा 0.06 है0 व 3646 रकबा 0.04 किस्म गैर मुमकिन रास्ता पूर्व से ही उपलब्ध हैं। कार धारा 251 ए मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने के कारण खारिज किया जाना समझते है।

र्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पोषणीय ा के कारण खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

[illegible] सिंह
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)